न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रीतम कुमार IAS

प्रकरण सं0 : 44/2021

अनवान :

1. मनीराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
2. महावीर पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।

:– प्रार्थीगण

बनाम

1. भागाराम पुत्र चेनाराम जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
   1ए पवन कुमार पुत्र भागाराम जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
   1बी मंजू बाला पुत्री भागाराम जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
2. राजकुमार पुत्र चैनाराम जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री किशन लाल यादव- **प्रार्थीगण**

वकील श्री विरेन्द्र जाखड़ - **अप्रार्थीगण**

दिनांक : 23.2.24

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डाबडी के पुराने खसरा सं0 486 की 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं0 491 की 40 बीघा 9 बिस्वा कुल 52 बीघा 19 बिस्वा वादभूमि में प्रार्थीगण के पिता पेमाराम का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पिता चैनाराम का 1/2 हिस्सा था। इसके अलावा प्रार्थीगण के दादा एवं अर्जनराम के पिता खेताराम की अकेले की नोतोड 20 बीघा भूमि रोही मौजा डाबडी में थी जिसका खसरा सं0 542 है। सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट अधिकारियों ने मनमाने तौर पर राजस्व रिकार्ड में फेरबदल कर दिया। इसी दौरान चैनाराम ने मौके का फायदा उठाकर सैटलमेंट अधिकारियों से साज कर प्रार्थीगण के दादा खेताराम एवं चैनाराम के नाम संयुक्त खातेदारी साबिका खसरा सं0 486 व 491 की 52 बीघा 19 बिस्वा भूमि में रामू नाम के आदमी का शामिल करवा दिया। जिसमें नया खसरा नं0 535, 556 व 564 कायम किए गए और फिर अपने लडके अप्रार्थी भागचंद उर्फ भागचंद को रामू का खौलायत पुत्र दिखाकर उसे 1/3 हिस्से का मालिक बना दिया तथा इसके अलावा प्रार्थीगण के दादा खेताराम की जो अलग से 20 बीघा नोतोड आराजी थी वह तमाम भूमि नये खसरा न0 651 में तब्दील हो गई। लेकिन सेटलमेंट ऑप्रेशन की जो मिसल है उसमें मौजूद ख0सं0 651 की 16 बीघा भूमि अकेले प्रार्थीगण के दादा खेताराम के नाम दिखाई गई है तथा उसमें रामू व चेनाराम का नाम दर्ज ओर करने का आदेश मिसल में देकर उसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का भी आदेश दिया गया है। लेकिन असल में प्रार्थीगण के दादा खेताराम की अकेले की नोतोड में चैनाराम या रामू का कोई लेना देना नहीं था। प्रार्थीगण के दादा खेताराम का देहान्त हो जाने पर प्रार्थीगण के पिता पेमाराम व अर्जनराम तथा उनका पिता खेताराम अनपढ व अनजान व्यक्ति थे उन्हे रिकार्ड संबंधी किसी किस्म का ज्ञान नहीं था लेकिन दावा दायरी के समय जब चैनाराम ने कहना शुरू किया कि साबिका ख0सं0 486 व 491 की 52.19 बीघा में उसका व अप्रार्थी भागचंद को शामिल करते हुए 2/3 हिस्सा है तथा साबिका ख0सं0 542 की तमाम भूमि उसके नाम है तो सायलान के पिता पेमाराम ने दिनांक 03.06.1987 को गांव के पटवारी से जाकर जानकारी हासिल की और पाया कि उनकी आराजी के राजस्व रिकार्ड में भारी फेरबदल चैनाराम ने करवाकर अपने नाम दर्ज करवा ली। पेमाराम के देहान्त के बाद उसके हक पर दावा में प्रार्थीगण मौजूद है तथा भागंचद पुत्र पि0मु0 रामू को रामू का खौलायत पुत्र मानकर उसके नाम से कृषि भूमि दर्ज है। वर्तमान में वाद भूमि गांव डाबडी की जमाबंदी सम्वत 2071–74 खाता सं0 170/104 के ख0सं0 535 की 0.569है0, ख0सं0 556 की 4.679है0, ख0सं0 564 की 2.542है0 कुल 7.790है0 वारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी सं0 1 के नाम 7–5/9 हिस्सा, प्रार्थी सं0 2 के नाम 7–5/9 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 1 भागचंद पि0मु0 रामू के नाम 205–1/3 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 2 राजकुमार के नाम 205–1/3 हिस्सा दर्ज है। अप्रार्थीगण वादभूमि को प्रार्थीगण को वंचित करने के उद्देश्य से विक्रय करने पर आमादा है और ऋण प्राप्त करने के प्रयास में है यदि वह ऐसा करने में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह ताफैसला वाद वादभूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल ना करें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अतिरिक्त

Assistant Collector
(Fast Track) Bhadra (Hanumangarh)

Scanned with CamScanner

कथन किया कि भागचंद रामू का खोलायत पुत्र था इसलिए उसका 1/3 हिस्सा दर्ज होना कानून सम्मत था। प्रार्थीगण का सेटलमेंट अधिकारीगण के साथ छल कपट का आरोप गलत है। सेटलमेंट का रिकार्ड ऑफ राईट मिशल बन्दोबस्त/जमाबंदी सार्वजनिक रिकार्ड है जिसके बारे में सेटलमेंट विभाग ने अंतिम रूप देने से पहले ग्रामवासीगण के सामने प्रत्येक काश्तकार को पढकर सुनाया व दिखाया था जिस पर खेताराम ने कोई आपति या आक्षेप नहीं किया। अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है उन्हें अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है। अप्रार्थीगण मौजूदा वक्त में रिकार्डेड खातेदार है पूर्व में उनके पिता व दादा थे। यह रिकार्ड सन 1965–66 से लगातार चला आ रहा है। अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सव्यय खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि रोही मौजा डाबडी के खसरा सं0 486 की 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं0 491 की 40 बीघा 9 बिस्वा कुल 52 बीघा 19 बिस्वा वादभूमि में प्रार्थीगण के पिता पेमाराम का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पिता चैनाराम का 1/2 हिस्सा था। इसके अलावा प्रार्थीगण के दादा एवं अर्जनराम के पिता खेताराम की अकेले की नोतोड 20 बीघा भूमि रोही मौजा डाबडी में थी जिसका खसरा सं0 542 है। सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट अधिकारियों ने मनमाने तौर पर राजस्व रिकार्ड में फेरबदल कर दिया। इसी दौरान चैनाराम ने मौके का फायदा उठाकर सैटलमेंट अधिकारियों से साज कर प्रार्थीगण के दादा खेताराम एवं चैनाराम के नाम संयुक्त खातेदारी साबिका खसरा सं0 486 व 491 की 52 बीघा 19 बिस्वा भूमि में रामू नाम के आदमी का शामिल करवा दिया। जिसमें नया खसरा नं0 535, 556 व 564 कायम किए गए और फिर अपने लडके अप्रार्थी भागचंद उर्फ भागचंद को रामू का खौलायत पुत्र दिखाकर उसे 1/3 हिस्से का मालिक बना दिया तथा इसके अलावा प्रार्थीगण के दादा खेताराम की जो अलग से 20 बीघा नोतोड आराजी थी वह तमाम भूमि नये खसरा न0 651 में तब्दील हो गई। लेकिन सेटलमेंट ऑप्रेशन की जो मिसल है उसमें मौजूद ख0सं0 651 की 16 बीघा भूमि अकेले प्रार्थीगण के दादा खेताराम के नाम दिखाई गई है तथा उसमें रामू व चेनाराम का नाम दर्ज ओर करने का आदेश मिसल में देकर उसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का भी आदेश दिया गया है। लेकिन असल में प्रार्थीगण के दादा खेताराम की अकेले की नोतोड में चैनाराम या रामू का कोई लेना देना नहीं था। प्रार्थीगण के दादा खेताराम का देहान्त हो जाने पर प्रार्थीगण के पिता पेमाराम व अर्जनराम तथा उनका पिता खेताराम अनपढ व अनजान व्यक्ति थे उन्हे रिकार्ड संबंधी किसी किस्म का ज्ञान नहीं था लेकिन दावा दायरी के समय जब चैनाराम ने कहना शुरू किया कि साबिका ख0सं0 486 व 491 की 52.19 बीघा में उसका व अप्रार्थी भागचंद को शामिल करते हुए 2/3 हिस्सा है तथा साबिका ख0सं0 542 की तमाम भूमि उसके नाम है तो सायलान के पिता पेमाराम ने दिनांक 03.06. 1987 को गांव के पटवारी से जाकर जानकारी हासिल की और पाया कि उनकी आराजी के राजस्व रिकार्ड में भारी फेरबदल चैनाराम ने करवाकर अपने नाम दर्ज करवा ली। पेमाराम के देहान्त के बाद उसके हक पर दावा में प्रार्थीगण मौजूद है तथा भागंचद पुत्र पि0मु0 रामू को रामू का खौलायत पुत्र मानकर उसके नाम से कृषि भूमि दर्ज है। वर्तमान में वाद भूमि गांव डाबडी की जमाबंदी सम्वत 2071–74 खाता सं0 170/104 के ख0सं0 535 की 0.569है0, ख0सं0 556 की 4.679है0, ख0सं0 564 की 2.542है0 कुल 7.790है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी सं0 1 के नाम 7–5/9 हिस्सा, प्रार्थी सं0 2 के नाम 7–5/9 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 1 भागचंद पि0मु0 रामू के नाम 205–1/3 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 2 राजकुमार के नाम 205–1/3 हिस्सा दर्ज है। अप्रार्थीगण वादभूमि को प्रार्थीगण को वंचित करने के उदेश्य से विक्रय करने पर आमादा है और ऋण प्राप्त करने के प्रयास में है यदि वह ऐसा करने में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह ताफैसला वाद वादभूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल ना करें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

वकील अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान कथन किया कि भागचंद रामू का खोलायत पुत्र था इसलिए उसका 1/3 हिस्सा दर्ज होना कानून सम्मत था। प्रार्थीगण का सेटलमेंट अधिकारीगण के साथ छल कपट का आरोप गलत है। सेटलमेंट का रिकार्ड ऑफ राईट मिशल बन्दोबस्त/जमाबंदी सार्वजनिक रिकार्ड है जिसके बारे में सेटलमेंट विभाग ने अंतिम रूप देने से पहले ग्रामवासीगण के सामने प्रत्येक काश्तकार को पढकर सुनाया व दिखाया था जिस पर खेताराम ने कोई आपति या आक्षेप नहीं किया। अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है उन्हें अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है। अप्रार्थीगण मौजूदा वक्त में रिकार्डेड खातेदार है पूर्व में उनके पिता व दादा थे। यह रिकार्ड सन 1965–66 से लगातार चला आ रहा है। अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सव्यय खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। नयायालय द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण, जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण, उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबंदी, शपथ पत्र का अध्ययन किया।

Prelay
कलक्टर

Scanned with CamScanner

अवलोकन करने पर ग्राम डाबडी की जमाबंदी 2012 से 2015 में साबिका खसरा नं0 486, 491 में खेता, रामू व चैनाराम प्रत्येक 1/3 हिस्सा का खातेदार था व साबिका खसरा नं0 574 चैनाराम के नाम से था। खसरा परिशोधन पत्र के कॉलम नं0 5 के अनुसार रामू का नाम उक्त ख0सं0 574, 486 व 491 में छूट गया जिसको खसरा परिशोधन दिनांक 10.04.1973 के कॉलम सं0 6 में साबिका खसरा नं0 574, 486 व 491 के वर्तमान खसरा नं0 650, 535 व 556 में सहायक भू-प्रबंध अधिकारी के निर्णय द्वारा भागचंद पि0मु0 रामू जोडा गया जिससे सिद्ध होता है कि रामू का हिस्सा उक्त तीनों खसरों में था।

वर्तमान में न्यायालय द्वारा तहसीलदार भादरा से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें पटवारी हल्का डाबडी ने मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नं0 650/1, 651 में राजकुमार पुत्र चैनाराम व खसरा नं0 564 में मंजुबाला, पवन कुमार पि0 भागचंद द्वारा काश्त की जाती है व खसरा नं0 535 में अर्जुन के वारिसान व खसरा सं0 556 में मनीराम, महावीर, राजबाला, मंजूबाला, सरस्वती व अर्जुन के वारिसान द्वारा मौका पर काश्त की जा रही है । तहसीलदार भादरा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि में रामू के वारिसान अपने हिस्से पर वर्तमान में भी काश्त करते है।

वकील अप्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा में मनीराम के पिता द्वारा पेश किए गए अर्जी दावा वाद सं0 165/02 अनवानी पैमराज बनाम तारो आदि की चित्रप्रति पेश की जिसमें प्रार्थी के पिता पेमाराम ने सजरा खानदान में हुणताराम के तीन वारिस खेता, रामू (लाऔलाद फौत) व चैनाराम दर्शाया है तथा पेमाराम ने उक्त दावा की मद सं0 2 में खुद स्वीकार किया है कि रोही मोजा डाबडी के ख0सं0 535, 556, 564 की कुल 30.15 बीघा बारानी भूमि में हुणताराम के वारिस तीनों पुत्रों खेताराम, रामू व चैनाराम 1/3-1/3 हिस्से के खातेदार माना है जिससे स्पष्ट होता है कि रामू का भी बराबर हिस्सा है।

अतः प्रस्तुत जमाबंदी 2012-15, खसरा परिशोधन पत्र, वर्तमान कब्जा रिपोर्ट पटवारी/तहसीलदार भादरा व अर्जीदावा वाद सं0 165/02 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निर्णय पर पहुंचा है कि रामू उक्त वादभूमि में हिस्सेदार प्रतीत होता है। प्रार्थीगण का उक्त विवादित भूमि में अपना हिस्सा दुरूस्ती की घोषणा बाबत वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के हक हिस्सों की घोषणा गुण-अवगुण के आधार पर होनी है। प्रस्तुत दस्तावेजात व पत्रावली के अवलोकन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के कारण अप्रार्थीगण को अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग-उपभोग नहीं कर पाने से अपूर्णीय क्षति का सामना करना पड़ रहा है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.2.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Preetam

(प्रीतम कुमार) I.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner